उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्याः–294 / 19 / डी0आर0(स0नि0) / सेवा–2 / 2021–22 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2023

<u>विस्तृत विज्ञप्ति</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **शहरी विकास विभाग** के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक के रिक्त 65 पदों हेतु प्रकाशित **विज्ञापन** सं0ः–A-**2**/DR(SI)/S-2/2023 दिनांक 08 अगस्त, 2023 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28 अगस्त, 2023 तक आंमत्रित किये गये थे। जिसके क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 (रविवार) को किया गया था। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के सापेक्ष अभिलेख / प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में **दिनांक 29 दिसम्बर, 2023** तक व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की सूची निम्नवत् हैः–

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।
2. हाईस्कूल प्रमाण–पत्र
3. हाईस्कूल अंकतालिका,
4. इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र
5. इण्टरमीडिएट अंकतालिका
6. अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0 एस–सी0 सभी वर्षो की अंकतालिका एवं उपाधि तथा केन्द्र / किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन / सेनीटेशन / सैनेटरी इंस्पेक्टर / हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा की अंकतालिका एवं उपाधि।
7. अधिमानी अर्हता–
   (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
   (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
8. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0) अन्य पिछड़ा वर्ग <u>(OBC)</u> का प्रमाण पत्र विज्ञापन की तिथि से 03 वर्ष की पूर्व की अवधि का नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु मान्य होना चाहिए अर्थात 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के <u>आश्रित / उत्तराखण्ड</u> <u>महिला / उत्तराखण्ड</u> पूर्व सैनिक / दिव्यांग / उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)।
10. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
11. अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।

12. पूर्व सैनिकों को डिस्चार्च सर्टिफिकेट तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से विज्ञापन के परिशिष्ट–3(ड़) के अनुसार दिव्यांगता संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।
14. अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

3–अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित किये जाने वाले समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित करेंगे तथा क्रमवार व्यवस्थित कर मजबूत धागे से नत्थी करते हुए लिफाफे में रखकर आयोग को प्रेषित करेंगे। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर निम्न सूचनाएं अवश्य अंकित करें।

a) **सफाई निरीक्षक परीक्षा–2023**

b) **अनुक्रमांक,**

उक्तानुसार प्रमाण–पत्रों का लिफाफा **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय को दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के सांय 6:00 बजे** तक व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से कार्यालय में जमा कर सकते है, उक्त तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले लिफाफों/अभिलेखों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा डाक विलम्ब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।